



लोकपाल एवं लोकायुक्त : एक अध्ययन

ममता रानी¹ और प्रोफेसर डॉ सुबोध शर्मा²

शोधार्थी¹ और शोध निर्देशक²

स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, विक्रान्त यूनिवर्सिटी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

सार: भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां शासन की सफलता पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर टिकी है। आजादी के बाद प्रशासन फैला। लेकिन भ्रष्टाचार, पक्षपात और सत्ता का गलत इस्तेमाल भी बढ़ा। भ्रष्टाचार ने काम की कुशलता घटाई। जनता का भरोसा भी कम हुआ। इसी वजह से लोकपाल और लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र तंत्र बने। ये विचार स्वीडन के ओम्बुड्समैन से लिया गया। इसका लक्ष्य है प्रशासनिक अन्याय और भ्रष्टाचार से नागरिकों की रक्षा। भारत में लोकपाल का विचार 1960 के दशक में आया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने उच्च अधिकारियों की शिकायतों के लिए अलग संस्था सुझाई। 1968 में लोकपाल बिल संसद में आया। लेकिन राजनीतिक मतभेद, जटिलताएं और इच्छाशक्ति की कमी से यह सालों लटका रहा। भ्रष्टाचार बढ़ा तो जनता नाराज हुई। लोकपाल की मांग आंदोलन बनी। अन्ना हजारे के नेतृत्व ने 2013 के लोकपाल अधिनियम को जन्म दिया। इस कानून ने केंद्र और राज्यों में भ्रष्टाचार रोकने वाले तंत्र को कानूनी आधार दिया। 2019 में पहली बार लोकपाल की नियुक्ति हुई। इससे संस्था मजबूत बनी। लोकायुक्त राज्य स्तर पर काम करता है। यह मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करता है। महाराष्ट्र में सबसे पहले बना। फिर अन्य राज्यों ने अपने कानून बनाए। लेकिन राज्यों में इसकी ताकत, बनावट और क्षेत्र अलग-अलग हैं। यह शोध पत्र लोकपाल और लोकायुक्त के विचार, इतिहास, संरचना, शक्तियों और कामों का विश्लेषण करता है। चुनौतियां भी बताता है जैसे कम संसाधन, राजनीतिक दखल और जांच में देरी। निष्कर्ष यह है कि ये संस्थाएं लोकतंत्र में अच्छे शासन और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी हैं। इन्हें मजबूत बनाना चाहिए।

मुख्य शब्द: भ्रष्टाचार, सुशासन, जवाबदेही, विधि का शासन, जनहित, उत्तरदायी शासन, ओम्बुड्समैन प्रणाली, प्रशासनिक कदाचार, शासन व्यवस्था।

परिचय: भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका शासन संविधान के मूल सिद्धांतों पर खड़ा है - न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारा। लोकतंत्र तभी चलता है जब शासन साफ, जवाबदेह और लोगों के हित में हो। लेकिन आजादी के बाद

प्रशासन फैला तो भ्रष्टाचार, रिश्तखोरी, भेदभाव और सत्ता का बुरा इस्तेमाल जैसी बुराइयां भी तेजी से बढ़ीं। इनसे प्रशासन की ताकत कम हुई। लोगों का सरकार पर भरोसा भी डगमगाया। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। यह कानून की ताकत घटाता है। समाज और अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ाता है। भारत जैसे उभरते देश में यह विकास रोकता है। कल्याण योजनाओं का फायदा सही लोगों तक नहीं पहुंचता। इसलिए जरूरत पड़ी एक निष्पक्ष निगरानी संस्था की। यह बड़े अधिकारियों की शिकायतें भी बिना डरे जांच सके। यहीं से लोकपाल और लोकायुक्त का विचार आया।

लोकपाल और लोकायुक्त जवाबदेही लाने का अच्छा जरिया हैं। यह विचार स्वीडन के ओम्बुड्समैन से लिया गया। वहां यह प्रशासन और लोगों के बीच पुल का काम करता है। भारत ने इसे अपनाया ताकि सत्ताधारी भी कानून मानें। उनकी शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो। लोकपाल केंद्र में काम करता है। लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां जांचते हैं। भारत में लोकपाल बनाने की राह लंबी और मुश्किल रही। दशकों तक कई बिल संसद में आए। लेकिन राजनीतिक झगड़े और इच्छाशक्ति की कमी से पास न हुए। इस बीच लोगों का भ्रष्टाचार से गुस्सा भड़का। कई आंदोलन हुए। आखिर 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त कानून बना। इससे इन संस्थाओं को कानूनी आधार मिला। ये संस्थाएं सिर्फ जांच ही नहीं करतीं। प्रशासन में ईमानदारी, सफाई और जिम्मेदारी बढ़ाती हैं। लोकतंत्र में लोगों का भरोसा वापस लाती हैं। इस शोध पत्र में लोकपाल-लोकायुक्त के विचार, इतिहास, ढांचा, शक्तियां और चुनौतियों का विश्लेषण है। इससे उनकी भूमिका साफ समझ आएगी।

लोकपाल की अवधारणा: लोकपाल का विचार लोकतंत्र में प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार रोकने की जरूरत से पैदा हुआ। लोकतंत्र में सत्ता जनता से आती है। इसलिए सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग ईमानदारी से काम करें, यह उम्मीद की जाती है। लेकिन असल में भ्रष्टाचार, गलत आचरण और सत्ता का गलत इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। इन मुश्किलों से लड़ने के लिए लोकपाल जैसी स्वतंत्र संस्था का ख्याल आया।

‘लोकपाल’ का मतलब है “जनता का संरक्षक”। यह विचार स्वीडन के ‘ओम्बुड्समैन’ सिस्टम से लिया गया, जो 1809 में शुरू हुआ। उसका मकसद था प्रशासन के अन्याय से नागरिकों को बचाना। साथ ही प्रशासन और जनता के बीच पुल का काम करना। भारत ने इसी मॉडल से लोकपाल बनाया। ताकि बड़े अधिकारियों और नेताओं की निष्पक्ष जांच हो सके। भारत में लोकपाल का लक्ष्य केंद्र पर एक संस्था खड़ा करना है। यह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें जांचेगी। लोकपाल यह तय करता है कि कोई भी बड़ा आदमी कानून से ऊपर न हो। इस तरह यह लोकतंत्र में जवाबदेही का साधन बनता है। लोकपाल सिर्फ सजा देने तक सीमित नहीं। यह

प्रशासन में नैतिकता, ईमानदारी और पारदर्शिता बढ़ाता है। नागरिकों को भरोसा दिलाता है कि उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। दोषियों पर सख्ती होगी। इससे जनता का शासन पर विश्वास मजबूत होता है। भारत में लोकपाल को कानूनी रूप 2013 के लोकपाल और लोकायुक्त कानून से मिला। इसने संरचना, शक्तियां और दायरा साफ किया। लेकिन संसाधनों की कमी, राजनीतिक दखल और जांच में देरी जैसी परेशानियां हैं। फिर भी यह भ्रष्टाचार रोकने में बड़ा कदम है। लोकपाल का विचार पारदर्शिता, जवाबदेही और अच्छे शासन का मजबूत हथियार है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बल देता है।

भारत में लोकपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में लोकपाल का विचार भ्रष्टाचार रोकने और जन जीवन में जवाबदेही लाने से जन्मा। आजादी के बाद सरकार फैली। तब प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ा। भेदभाव हुआ। सत्ता का गलत इस्तेमाल दिखा। ये हालात साफ कर गए। पुरानी अदालतें और सिस्टम भ्रष्टाचार नहीं रोक सके। इसलिए एक आजाद संस्था चाहिए। ये बड़े अफसरों और नेताओं की साफ जांच करे। लोकपाल का विचार विदेश से लिया गया। खासकर स्वीडन के ओम्बुड्समैन से। इसे 1809 में शुरू किया। इसका लक्ष्य था सरकार और लोगों को जोड़ना। शिकायतें जल्दी सुलझाना। निष्पक्ष तरीके से। भारत में पहली सिफारिश 1966 के प्रशासनिक सुधार आयोग ने की। आयोग बोला। केंद्र में लोकपाल बनाओ। राज्यों में लोकायुक्त। भारत में लोकपाल बिल पहली बार 1968 में आया। इंदिरा गांधी पीएम थीं। लोकसभा ने पास किया। राज्यसभा में अटका। कानून न बना। फिर 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001 और 2011 में प्रयास हुए। राजनीति की लड़ाई। सरकारें गिरीं। इच्छाशक्ति कम रही। सब असफल रहे। असफलताओं के बाद भी मांग बनी रही। 1990 के दशक में भ्रष्टाचार बढ़ा। मांग तेज हुई। 21वीं सदी शुरू हुई। बड़े घोटाले निकले। जनता नाराज हुई। 2011 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया। भारी दबाव पड़ा। लोकपाल कानून जल्दी बनाओ। इन सब से 2013 में लोकपाल अधिनियम पास हुआ। केंद्र में लोकपाल। राज्यों में लोकायुक्त। कानूनी रूप मिला। फिर भी नियुक्ति में देरी। आखिर 2019 में पहला लोकपाल बना। विचार हकीकत बना। इस तरह लोकपाल का सफर लंबा रहा। मुश्किल भरा। संघर्षपूर्ण। ये प्रशासन में साफ-सफाई लाता है। जवाबदेही बढ़ाता है। भ्रष्टाचार रोकेगा। महत्वपूर्ण कदम है।

लोकायुक्त का विकास: भारत में लोकायुक्त की विचारधारा राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने और पदाधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए बनी। लोकतंत्र में राज्य सरकारें प्रशासन का बड़ा हिस्सा हैं। उनके फैसले सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आजादी के बाद राज्यों में प्रशासन बढ़ा। साथ ही भ्रष्टाचार, भेदभाव और सत्ता का गलत इस्तेमाल भी बढ़ा। इसलिए एक निष्पक्ष संस्था की जरूरत पड़ी। यह राज्य स्तर पर शिकायतों की जांच कर सके।

यहीं से लोकायुक्त का जन्म हुआ। लोकायुक्त का विचार मूल रूप से स्वीडन की ओम्बुड्समैन व्यवस्था से लिया गया। भारत में पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में इसे सुझाया। आयोग ने कहा कि केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त बनें। इससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके। यह सुझाव लोकायुक्त के विकास का मजबूत आधार बना। महाराष्ट्र में 1971 में पहला लोकायुक्त बना। फिर ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और बाकी राज्यों ने कानून बनाए। लेकिन राज्यों के फैसले पर निर्भर होने से सबमें एक जैसी संरचना नहीं बनी। कहीं पूर्ण जांच की ताकत दी। कहीं सिर्फ सलाह या छोटी जांच तक सीमित रखा। लोकायुक्त का मुख्य काम मंत्रियों, विधायकों और बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग या कदाचार की शिकायत जांचना है। कुछ राज्यों में यह खुद संज्ञान ले सकता है। जांच एजेंसी को आदेश दे सकता है। अभियोजन की सिफारिश भी कर सकता है। लेकिन कुछ जगहों पर कम ताकत से इसकी उपयोगिता पर सवाल उठे। 2013 के लोकपाल और लोकायुक्त कानून ने राज्यों को स्थापना का ढांचा दिया। हर राज्य को लोकायुक्त बनाना जरूरी कर दिया। फिर भी कानूनों में भिन्नता बनी रही। वैसे यह लोकायुक्त के विकास में बड़ा कदम है। लोकायुक्त भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास है। संरचना में असमानता असर डालती है। लेकिन यह राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी महत्वपूर्ण संस्था बनी।

लोकपाल एवं लोकायुक्त की संरचना: लोकपाल और लोकायुक्त की संरचना इन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा प्रभावी बनाती है। इससे ये बिना राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के भ्रष्टाचार की जांच कर सकें। इनकी संरचना उनके कामों और अधिकारों को मजबूती से चलाने के लिए बहुत जरूरी है।

1. **लोकपाल की संरचना:** लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में लोकपाल की संरचना बताई गई है। अधिनियम के अनुसार लोकपाल एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें ये पद हैं—
 - एक अध्यक्ष।
 - अधिकतम आठ सदस्य।

इनमें से कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य न्यायिक होंगे। वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हों। बाकी सदस्य गैर-न्यायिक हैं। इनका अनुभव सार्वजनिक जीवन, प्रशासन, कानून, वित्त या भ्रष्टाचार रोकथाम में हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करते हैं। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष नेता और मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित न्यायाधीश होते हैं। लोकपाल का कार्यकाल पांच वर्ष या 70 वर्ष आयु तक रहता है।

2. लोकायुक्त की संरचना: लोकायुक्त राज्य स्तर पर काम करता है। इसकी संरचना राज्य कानूनों पर आधारित है। ज्यादातर राज्यों में इसमें ये पद हैं—

- एक लोकायुक्त।
- एक या अधिक उप-लोकायुक्त।

राज्यपाल चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष नेता शामिल होते हैं। लोकायुक्त अक्सर सेवानिवृत्त उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। इससे निष्पक्षता बनी रहती है। कार्यकाल और अधिकार राज्य अनुसार बदलते हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त खुद संज्ञान ले सकता है। वह जांच एजेंसियों को निर्देश दे सकता है। अन्य राज्यों में भूमिका जांच और सिफारिश तक सीमित है।

संरचना का महत्व: यह संरचना लोकपाल और लोकायुक्त को स्वतंत्र तथा भरोसेमंद बनाती है। न्यायिक सदस्य निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सामाजिक समावेश बढ़ाता है। इस तरह ये संस्थाएं लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता मजबूत करती हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त की शक्तियां व कार्य: लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना का मुख्य लक्ष्य प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग तथा कदाचार पर कड़ा नियंत्रण लगाना है। इनके अधिकार और क्षेत्र इनकी सफलता तय करते हैं। 2013 के लोकपाल अधिनियम में लोकपाल को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। लोकायुक्त की शक्तियां राज्य कानूनों पर आधारित हैं।

1. लोकपाल की शक्तियां व कार्य: लोकपाल केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली शीर्ष संस्था है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—

- **शिकायतों की जांच:** लोकपाल पीएम, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों व उच्च अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार शिकायतें जांचता है। जांच प्रारंभिक पूछताछ और पूर्ण जांच से होती है।
- **जांच एजेंसियों पर नियंत्रण:** लोकपाल को सीबीआई व अन्य एजेंसियों को निर्देश देने का अधिकार है। उसके आदेश बिना जांच अधिकारियों का तबादला नहीं होता। इससे जांच निष्पक्ष रहती है।
- **अभियोजन की सिफारिश:** दोष सिद्ध होने पर लोकपाल अभियोजन की सिफारिश करता है। वह विशेष अदालतों में मुकदमा चलाने की मंजूरी देता है।
- **संपत्ति जब्ती की सिफारिश:** लोकपाल भ्रष्टाचार से कमाई संपत्ति जब्त करने की सिफारिश कर सकता है।

- **समयबद्ध जांच:** लोकपाल को जांच व अभियोजन समय सीमा में पूरा करने का अधिकार है।
- 2. **लोकायुक्त की शक्तियां व कार्य:** लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार व कदाचार के मामलों की जांच करता है। इसकी शक्तियां राज्य कानूनों से अलग-अलग हो सकती हैं। फिर भी मुख्य कार्य ये हैं—
- **राज्य अधिकारियों की जांच:** लोकायुक्त राज्य मंत्रियों, विधायकों व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग व कदाचार जांचता है।
- **स्वतः संज्ञान की शक्ति:** कुछ राज्यों में लोकायुक्त खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है।
- **जांच रिपोर्ट सौंपना:** लोकायुक्त जांच रिपोर्ट राज्यपाल या सरकार को देता है। इसमें दोषियों पर कार्रवाई की सिफारिश होती है।
- **सलाहकारी भूमिका:** कई राज्यों में लोकायुक्त केवल सलाह देता है।

लोकपाल एवं लोकायुक्त का महत्व: लोकपाल और लोकायुक्त लोकतंत्र में प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। लोकतंत्र की सफलता सिर्फ संविधान और कानूनों पर नहीं टिकी। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि शासन ईमानदारी से चले। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है और पदों का दुरुपयोग होता है, तो जनता का विश्वास कम होता है। लोकपाल व लोकायुक्त जैसी स्वतंत्र संस्थाएं लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। इनका मुख्य महत्व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। ये उच्च अधिकारियों, मंत्रियों तथा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतों की निष्पक्ष जांच करती हैं। इससे संदेश मिलता है कि कोई कानून से बड़ा नहीं। इससे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बढ़ती है। दूसरा फायदा प्रशासन को जवाबदेह बनाना है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिकारियों को याद दिलाते हैं कि उनकी निगरानी हो रही है। इससे मनमानी, पक्षपात तथा सत्ता का दुरुपयोग घटता है।

ये संस्थाएं सुशासन की नींव रखती हैं। पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ही सुशासन है। ये नीतियों तथा योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में मदद करती हैं। इससे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलता है। एक और लाभ जनता का विश्वास लौटाना है। नागरिक जानते हैं कि उनकी शिकायत सुनी जाएगी। ये संस्थाएं जनता और प्रशासन के बीच पुल का काम करती हैं। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत होती है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी करती हैं। कानून का राज, समानता तथा न्याय को लागू करने में सहायता मिलती है। सत्ता का उपयोग जनहित के लिए होता है। निजी या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं।

अंत में, लोकपाल एवं लोकायुक्त लोकतंत्र के रखवाले हैं। इन्हें स्वतंत्रता, संसाधन तथा मजबूत शक्तियाँ दें। तो ये भ्रष्टाचार रोकेंगी, सुशासन लाएंगी तथा लोकतंत्र को मजबूत करेंगी।

लोकपाल और लोकायुक्त की चुनौतियाँ: भारत में लोकपाल और लोकायुक्त भ्रष्टाचार रोकने और प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए बने हैं। ये लोकतंत्र में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनके सामने कई गंभीर समस्याएँ हैं। ये समस्याएँ इनकी क्षमता को कम करती हैं।

- पहली मुख्य चुनौती स्वतंत्रता की कमी है। ये संस्थाएँ स्वतंत्र होनी चाहिए। पर नियुक्ति, पैसा और सहायता के लिए सरकार पर निर्भर हैं। इससे राजनीतिक दखल की आशंका रहती है। निष्पक्ष जाँच प्रभावित हो सकती है।
- दूसरी समस्या संसाधनों की कमी है। प्रशिक्षित अधिकारी, जाँचकर्मी और उपकरण कम हैं। इससे मामलों की जाँच में देरी होती है। लंबित मामले बढ़ते जाते हैं। लोग निराश हो जाते हैं।
- तीसरी चुनौती जाँच में देरी है। भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच लंबी चलती है। साक्ष्य कमजोर हो जाते हैं। दोषियों को सजा में विलंब होता है। संस्थाओं की विश्वसनीयता घटती है।
- लोकायुक्त के लिए राज्यों में कानूनों का अंतर बड़ी समस्या है। हर राज्य का अपना कानून है। इससे शक्तियाँ और दायरा अलग-अलग हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त सिर्फ सलाह दे सकता है। इसकी उपयोगिता कम हो जाती है।
- सीमित दायरा है। कुछ संवैधानिक पद और बड़े अधिकारी बाहर हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी कार्रवाई रुक जाती है।
- जनता की जागरूकता कम है। कई लोग इनकी प्रक्रिया, अधिकार और शिकायत का तरीका नहीं जानते। संस्थाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं होता।

अंत में, ये चुनौतियाँ लोकपाल और लोकायुक्त को कमजोर करती हैं। पर्याप्त स्वतंत्रता, संसाधन, एक समान कानून और जागरूकता दें। तब ये भ्रष्टाचार रोकने और अच्छे शासन में बेहतर काम करेंगे।

निष्कर्ष: लोकपाल और लोकायुक्त भारत के लोकतांत्रिक शासन में भ्रष्टाचार रोकने, प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने और अच्छे शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आजादी के बाद प्रशासन बढ़ा तो भ्रष्टाचार बड़ी समस्या बना। इससे शासन की कुशलता घटी और जनता का भरोसा कम हुआ। ऐसे में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं ने लोकतंत्र की

रक्षा में बड़ा कदम उठाया। लोकपाल केंद्र में काम करता है। लोकायुक्त राज्य स्तर पर। दोनों उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जांचते हैं। ये 'कोई कानून से ऊपर नहीं' के सिद्धांत को लागू करते हैं। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी मजबूत हुई। जनता का शासन पर विश्वास बढ़ा। इन संस्थाओं को कानूनी आधार और व्यापक अधिकार मिले हैं। फिर भी चुनौतियां हैं। जैसे कम संसाधन। राजनीतिक दखल। जांच में देरी। राज्यों में कानूनों में अंतर। इनसे प्रभाव कम हो जाता है। फिर भी इनका महत्व कम नहीं। ये भ्रष्टाचार रोकती हैं। साथ ही प्रशासन में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति फैलाती हैं। इन्हें पर्याप्त आजादी, संसाधन, एक समान कानून और जन समर्थन मिले तो शासन मजबूत होगा। कुल मिलाकर लोकपाल और लोकायुक्त लोकतंत्र के रक्षक हैं। इन्हें मजबूत करेंगे तो भ्रष्टाचार पर काबू पाएंगे। अच्छा शासन, न्याय और जन भरोसा सुनिश्चित होगा। भविष्य में इन्हें और प्रभावी बनाना जरूरी है।

संदर्भ सूची:

- भारत सरकार. **लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013**. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन.
- भारत सरकार. **भारतीय संविधान**. नई दिल्ली: विधि मंत्रालय, भारत सरकार.
- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग. **प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट**. नई दिल्ली: भारत सरकार.
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग. **नैतिक शासन और भ्रष्टाचार-निरोध**. नई दिल्ली: भारत सरकार.
- फडणवीस, एम. (2015). **भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार**. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान.
- अवस्थी, ए. एवं अवस्थी, एस. (2018). **लोक प्रशासन**. आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल.
- महेश्वरी, श्रीराम. (2016). **भारतीय प्रशासन**. नई दिल्ली: मैकमिलन इंडिया.
- बक्षी, पी. एम. (2019). **भारतीय संविधान का परिचय**. नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग.
- योजना आयोग (अब नीति आयोग). **सुशासन पर रिपोर्ट**. नई दिल्ली: भारत सरकार.
- उपाध्याय, एस. (2017). **लोकपाल और लोकायुक्त : अवधारणा एवं व्यवहार**. नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स.
- शर्मा, आर. के. (2020). **भारतीय राजनीति और प्रशासन**. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.
- समाचार पत्र लेख: *द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस*— लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित विशेष लेख।

